न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 –90/2020(2020/00110)

अनवान : –

1. रामनिवासपुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

वादी

वनाम

1. मोहरसिंहपुत्ररामरखजाति जाट निवासी करनपुरातहसील भादरा।
2. पवनकुमार पुत्र मोहरसिंहजाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. कृष्णा पुत्री रामरख जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. जानकीदेवी पुत्री रामरख जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
5. आईसीआईसीआई वैंक शाखा करनपुरा जरिये शाखा प्रवंधक।

प्रतिवादीगण

दावावावत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–श्री विनोद पूनियां **वादी**
श्री प्रभुराम गोदारा **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 21/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक करनपुरा बारानी के खसरा संख्या 62/3 की 1.113 हैक्टेयर, खसरा संख्या 234/2 की 0.759 हैक्टेयर, खसरा संख्या 234/5 की 1.441 हैक्टेयर, खसरा संख्या 322/2 की 0.632 हैक्टेयर, खसरा संख्या 323/3 की 0.620 हैक्टेयर कुल खसरा 5 की कुल 4.565 हैक्टेयर बारानी व चक 3 केआरपी के वर्तमान खाता संख्या 143/119 के मुरब्बा नम्बर 69 के किला न0 17, 18, 23, 24 मुरब्बा नम्बर 84 के किला न0 18, 23, 24 कुल किता 7 की कुल 1.771 हैक्टेयर नहरी वादी के दादा रामरख के नाम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्द है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एव हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा रामरख की खातेदारी हुआ करती थी। रामरख के देहान्त होने पर वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 को विरास्तन में बहिस्सा बराबर मिली थी लेकिन विरासत इन्तकाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही करवाया गया। रामरख के ग्राम पंचायत करनपुरा से जारी सदस्यता प्रमाण पत्र के अनुसार रामरख के उक्त तीन वारिस है। मोहरसिंह के दो वारिस है जो दावा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 है। इस प्रकार वाद भूमिवादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा स्व0 रामरख के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:30:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 मोहरसिंह को वादी के दादा रामरख से विरासतन प्राप्त हुई है। चक 3 केआरपी जमबान्दी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 143/119, चक करनपुराबारानी जमाबन्दी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 284/260 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

उक्त वादभूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 3 व 4 ने वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि से केसीसी ऋण एवं सरकारी योजनाओं इत्यादि का लाभ लेना चाहते है। इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद संख्या 3 में दर्ज रोहीमौजा चक करनपुराबारानी के खसरा संख्या 62/3 की 1.113 हैक्टेयर, खसरा संख्या 234/2 की 0.759 हैक्टेयर, खसरा संख्या 234/5 की 1.441 हैक्टेयर, खसरा संख्या 322/2 की 0.632 हैक्टेयर, खसरा संख्या 323/3 की 0.620 हैक्टेयरकुल खसरा 5 की कुल 4.565 हैक्टेयंर बारानी व चक 3 केआरपी के वर्तमान खाता संख्या 143/119 के मुरब्बा नम्बर 69 के किला न0 17,. 18, 23, 24 मुरब्बा नम्बर 84 के किला न0 18, 23, 24 कुल किता 7 की कुल 1.771 हैक्टेयर नहरी वादी के दादा स्व0 रामरख के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में पारिवारिक समझौता के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने सहमति से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक व हिस्सा में बराबर तर्क कर दिया है।

साक्ष्य वादी में वादी रामनिवास पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी करनपुरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 3 केआरपी सम्वत 2071–74 प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक करनपुरा बारानी सम्वत 2074–77 प्रदर्श 2, सरपंच ग्राम पंचायत करनपुरा के द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:30:01 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने ब[illegible] वक[illegible] वादीने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वादवादी मुताबिक [illegible] [illegible]दन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किर[illegible] पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वादवादी ने रोही मौजा चक करनपुरा बारानी के खसरा संख्या 62/3 की 1.113 हैक्टेयर, खसरा संख्या 234/2 की 0.759 हैक्टेयर, खसरा

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

संख्या 234/5 की 1.441 हैक्टेयर, खसरा संख्या 322/2 की 0.632 हैक्टेयर, खसरा संख्या 323/3 की 0.620 हैक्टेय रकुल खसरा 5 की कुल 4.565 हैक्टेयर बारानी व चक 3 केआरपी के वर्तमान खाता संख्या 143/119 के मुरब्बा नम्बर 69 के किला न0 17, 18, 23, 24 मुरब्बानम्बर 84 के किला न0 18, 23, 24 कुलकिता 7 की कुल 1.771 हैक्टेयर नहरी वादी के दादा रामरख के नाम खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादा लाई कृषि भूमि होना साबित है तथा मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक करनपुरा बारानी के खसरा संख्या 62/3 की 1.113 हैक्टेयर, खसरा संख्या 234/2 की 0.759 हैक्टेयर, खसरा संख्या 234/5 की 1.441 हैक्टेयर, खसरा संख्या 322/2 की 0.632 हैक्टेयर, खसरा संख्या 323/3 की 0.620 हैक्टेयरकुल खसरा 5 की कुल 4.565 हैक्टेयरबारानी व चक 3 केआरपी के वर्तमान खाता संख्या 143/119 के मुरब्बानम्बर 69 के किला न0 17, 18, 23, 24 मुरब्बानम्बर 84 के किला न0 18, 23, 24 कुल किता 7 की कुल 1.771 हैक्टेयर नहरी रामरख के नाम खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमे वादी रामनिवास, प्रतिवादी संख्या 1 मोहरसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 पवनकुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:30:01 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
20.10.21
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़